

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 313

Dated: 3/6/2024

Certified that the **Silver Oak School, 4th Mile Stone, Jaipur Road, Alwar** comprised of **One ground floor and 3 Upper floors** owned/ occupied by **Silver Oak School** have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on **22/4/2024** in the presence of **Amit Kumar Meena** and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes **XII** With effect from **25/06/2024**..... for a period of

One year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

शर्तें:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्थल निरस्त माना जायेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिविलीयन गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाया आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल करना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यारत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंखा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे।
11. सेप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी छपर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र लुफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर लुफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

Issued on **25/06/2024**.. at **Alwar** by

(अमित मीणा)

Signature with Seal: **अग्निशमन अधिकारी**Name: **Amit Kumar Meena**Designation: **Fire officer**

Name & Address of Department/ Office:

Municipal Corporation Alwar

To
SILVER OAK SCHOOL
4TH MILE STONE, JAIPUR ROAD, ALWAR

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to
(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)